

कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत जरवापसी प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं० – **448/2023** श्रीमती लता आदि बनाम गौरव अग्रवाल आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 10.04.2026 को उभय पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु० – 7,82,800/- रु० (सात लाख, ब्यासी हजार, आठ सौ रुपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के मु० –9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) जरिये UTR NO. - AXISCN 1348113254 / UTIBN 62026051999357919 दिनांकित 19.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं० – 8332625144 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 19.05.2026 को प्राप्त प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु० –9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

याची संदीप कुमार शर्मा, आयु 41 वर्ष को मु० –9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) में से मु० –7,09,758/-रु० (सात लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये)नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा मु० –2,00,000/-रु० (दो लाख रुपये) एफ.डी.आर के रूप में तीन वर्ष के लिये निर्मित किया जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।

पत्रावली पर श्री अवधेश कुमार शर्मा, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं० – **448/2023** श्रीमती लता बनाम गौरव अग्रवाल आदि में याची की ओर से जरवापसी जर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्या के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के मु० – 9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) जरिये UTR NO. - AXISCN 1348113254 / UTIBN 62026051999357919 दिनांकित 19.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं० – 8332625144 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 19.05.2026 को प्राप्त प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु० –9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

याची संदीप कुमार शर्मा, आयु 41 वर्ष को मु० –9,09,758/-रु० (नो लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये) में से मु० –7,09,758/-रु० (सात लाख, नो हजार, सात सौ अठ्ठावन रुपये)नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा मु० –2,00,000/-रु० (दो लाख रुपये) एफ.डी.आर के रूप में तीन वर्ष के लिये निर्मित किया जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।

बैंक ब्याज याची को नकद के साथ दिया जाये।

तदनुसार जरवापसी प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

नोट:- सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एफ.डी.आर निर्मित करते समय एफ.डी.आर पर एम.ए.सी. वाद संख्या / नाम पक्षकार एवं निर्णय की तिथि 10.04.2026 अंकित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।